



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 622]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2017/आषाढ़ 21, 1939

No. 622]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2017/ASADHA 21, 1939

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि. 867 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 673(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 164 की पंक्ति 3 में “काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं” के स्थान पर “काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं” पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 167 की पंक्ति 7 के पश्चात, स्थापित करें-

“103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न]”;
---------	------	---

- (iii) पृष्ठ 170 की पंक्ति 11 में “2710 19 00” के स्थान पर “2711 19 00” पढ़ें;
- (iv) पृष्ठ 173 की पंक्ति 9 में “84 या 85” के स्थान पर “84, 85 या 94” पढ़ें;
- (v) पृष्ठ 184 की पंक्ति 29 के पश्चात, स्थापित करें-

“16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हार्डब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमेलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित”;
--------	------	---

- (vi) पृष्ठ 186 की पंक्ति 9 में “2202 90 10” के स्थान पर “2202 99 10” पढ़ें;

- (vii) पृष्ठ 186 की पंक्ति 10 में “2202 90 20” के स्थान पर “2202 99 20” पढ़ें;
- (viii) पृष्ठ 186 की पंक्ति 11 में “2202 90 90” के स्थान पर “2202 99 90” पढ़ें;
- (ix) पृष्ठ 186 की पंक्ति 12 में “2202 90 30” के स्थान पर “2202 99 30” पढ़ें;
- (x) पृष्ठ 224 की पंक्ति 6 में “2202 90 90” के स्थान पर “2202 99 90” पढ़ें;
- (xi) पृष्ठ 233 की पंक्ति 15 के पश्चात्, स्थापित करें-

“163(अ)	8701	“1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर”।
---------	------	--

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू भाग]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****CORRIGENDUM**

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 867 (E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 673(E), dated the 28th June, 2017,-

(i) at page 241, in line 15, *for* “Coffee, whether or not roasted or decaffeinated”, *read* “Coffee roasted, whether or not decaffeinated”;

(ii) at page 243 after line 44, insert-

“103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake]”;
-------	------	---

(iii) at page 246, in line 29, *for* “2710 19 00”, *read* “2711 19 00”;

(iv) at page 249, in line 9, *for* “84 or 85”, *read* “84, 85 or 94”;

(v) at page 259 after line 6, insert-

“16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried” ;
------	------	--

(vi) at page 260, in line 27, *for* “2202 90 10”, *read* “2202 99 10”;

(vii) at page 260, in line 28, *for* “2202 90 20”, *read* “2202 99 20”;

(viii) at page 260, in line 29, *for* “2202 90 90”, *read* “2202 99 90”;

(ix) at page 260, in line 31, *for* “2202 90 30”, *read* “2202 99 30”;

(x) at page 293, in line 13, *for* “2202 90 90”, *read* “2202 99 90”;

(xi) at page 301 after line 41, insert-

"163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc".
-------	------	--

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि.868(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 674(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017-केंद्रीय कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 309 की पंक्ति 5 में "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं" के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 313 की पंक्ति 10 में से " [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]" का लोप करें।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू भाग]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 868(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Central Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 674(E), dated the 28th June, 2017,-

(i) at page 315, in line 37, for "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split", read "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]";

(ii) at page 319, in line 17, omit "[proposed GST Nil]".

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि.869 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 710(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 3 की पंक्ति 31 में "काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं" के स्थान पर "काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 6 की पंक्ति 36 के पश्चात, स्थापित करें-

"103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेषण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न];
---------	------	--

- (iii) पृष्ठ 9 की पंक्ति 29 में “2710 19 00” के स्थान पर “2711 19 00” पढ़ें;
 (iv) पृष्ठ 12 की पंक्ति 18 में “84 या 85” के स्थान पर “84, 85 या 94” पढ़ें;
 (v) पृष्ठ 22 की पंक्ति 6 के पश्चात, स्थापित करें-

“16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मेंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, विलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमेलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित”;
--------	------	---

- (vi) पृष्ठ 23 की पंक्ति 21 में “2202 90 10” के स्थान पर “2202 99 10” पढ़ें;
 (vii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 22 में “2202 90 20” के स्थान पर “2202 99 20” पढ़ें;
 (viii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 23 में “2202 90 90” के स्थान पर “2202 99 90” पढ़ें;
 (ix) पृष्ठ 23 की पंक्ति 24 में “2202 90 30” के स्थान पर “2202 99 30” पढ़ें;
 (x) पृष्ठ 59 की पंक्ति 30 में “2202 90 90” के स्थान पर “2202 99 90” पढ़ें;
 (xi) पृष्ठ 72 की पंक्ति 16 के पश्चात, स्थापित करें-

“163(अ)	8701	“1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर”।
---------	------	--

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू- भाग]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 869 (E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 710(E), dated the 28th June, 2017,-

(i) at page 81, in line 29, *for* “Coffee, whether or not roasted or decaffeinated”, *read* “Coffee roasted, whether or not decaffeinated”;

(ii) at page 84 after line 12, insert:-

“103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake]”;
-------	------	---

(iii) at page 86, in line 36, *for* “2710 19 00”, *read* “2711 19 00”;

(iv) at page 89, in line 21, *for* “84 or 85”, *read* “84, 85 or 94”;

(v) at page 96 after line 28, insert-

“16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried”;
------	------	---

- (vi) at page 98, in line 5, for “2202 90 10”, read “2202 99 10”;
 (vii) at page 98, in line 6, for “2202 90 20”, read “2202 99 20”;
 (viii) at page 98, in line 7, for “2202 90 90”, read “2202 99 90”;
 (ix) at page 98, in line 8, for “2202 90 30”, read “2202 99 30”;
 (x) at page 124, in line 37, for “2202 90 90”, read “2202 99 90”;
 (xi) at page 132 after line 29, insert-

“163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc”.
-------	------	--

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि.870(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 711(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 140 की पंक्ति 5 में “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं” के स्थान पर “शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]” पढ़ें ;
 (ii) पृष्ठ 144 की पंक्ति 16 में से “ [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]” का लोप करें ।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू भाग]

मोहित तिवारी,अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R.870(E).—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 711(E), dated the 28th June, 2017,-

- (i) at page 146, in line 44, for “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split”, read “Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]”;
 (ii) at page 150, in line 9, omit “[proposed GST Nil]”.

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि.871(अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 666(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 3 की पंक्ति 31 में “काफी, चाहे भर्जित या कैफिन रहित है या नहीं” के स्थान पर “काफी भर्जित, चाहे कैफिन रहित है या नहीं” पढ़ें ;

(ii) पृष्ठ 6 की पंक्ति 21 के पश्चात, स्थापित करें-

"103(अ)	2302	चोकर, तीक्ष्ण और अन्य अपशिष्ट चाहे वह गुटिका के रूप में हों या नहीं धान्य के या फलीदार पौधों के, पेपण या अन्य कार्य से व्युत्पन्न हो [जलीय खाद्य जिसके अंतर्गत झींगी खाद्य और झींगा खाद्य भी है, कुक्कुट खाद्य और पशु खाद्य, सूखी घास और पुआल, दालों का अनुपूरक और भूसी, सांद्रण और योज्यक, गेहूं का चोकर और तेल निकाला गया केक से भिन्न];
---------	------	--

(iii) पृष्ठ 9 की पंक्ति 14 में "2710 19 00" के स्थान पर "2711 19 00" पढ़ें;

(iv) पृष्ठ 12 की पंक्ति 7 में "84 या 85" के स्थान पर "84, 85 या 94" पढ़ें;

(v) पृष्ठ 22 की पंक्ति 7 के पश्चात, स्थापित करें-

"16(अ)	0805	निम्बुकुल फल, जैसे कि नारंगियां, मैंडारिन, (जिसे अंतर्गत टेन्जेरीन और सटसूमसयी हैं) ; क्लेमेन्टाइन, बिलकिंग और अन्य वैसे हि निम्बुकुल हाईब्रिड, अंगूर फल जिसके अंतर्गत पोमेलोस भी है, नींबू (निम्बुकुल नींबू, निम्बुकुल लिमोलम) और लाइम (निम्बुकुल आरन्टीफोलिया, निम्बुकुल लैटिफोलिया), शुष्कित;
--------	------	--

(vi) पृष्ठ 23 की पंक्ति 17 में "2202 90 10" के स्थान पर "2202 99 10" पढ़ें;

(vii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 18 में "2202 90 20" के स्थान पर "2202 99 20" पढ़ें;

(viii) पृष्ठ 23 की पंक्ति 19 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;

(ix) पृष्ठ 23 की पंक्ति 20 में "2202 90 30" के स्थान पर "2202 99 30" पढ़ें;

(x) पृष्ठ 54 की पंक्ति 31 में "2202 90 90" के स्थान पर "2202 99 90" पढ़ें;

(xi) पृष्ठ 62 की पंक्ति 39 के पश्चात, स्थापित करें-

"163(अ)	8701	"1800 से अधिक क्षमता के ईंजन के अर्ध-अनुयान के लिए सड़क ट्रैक्टर"।
---------	------	--

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू- भाग]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 871(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.1/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 666(E), dated the 28th June, 2017,-

(i) at page 69, in line 28, *for* "Coffee, whether or not roasted or decaffeinated", *read* "Coffee roasted, whether or not decaffeinated";

(ii) at page 72, after line 14, insert-

"103A	2302	Bran, sharps and other residues, whether or not in the form of pellets, derived from the sifting, milling or other working of cereals or of leguminous plants [other than aquatic feed including shrimp feed and prawn feed, poultry feed and cattle feed, including grass, hay and straw, supplement and husk of pulses, concentrates and additives, wheat bran and de-oiled cake];
-------	------	--

(iii) at page 74, in line 42, *for* "2710 19 00", *read* "2711 19 00";

(iv) at page 77, in line 28, *for* "84 or 85", *read* "84, 85 or 94";

(v) at page 87 after line 17 insert-

"16A	0805	Citrus fruit, such as Oranges, Mandarins (including tangerines and satsumas); clementines, wilkings and similar citrus hybrids, Grapefruit, including pomelos, Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), dried";
------	------	---

(vi) at page 88, in line 34, for "2202 90 10", read "2202 99 10";

(vii) at page 88, in line 35, for "2202 90 20", read "2202 99 20";

(viii) at page 88, in line 36, for "2202 90 90", read "2202 99 90";

(ix) at page 88, in line 37, for "2202 90 30", read "2202 99 30";

(x) at page 119, in line 44, for "2202 90 90", read "2202 99 90";

(xi) at page 127 after line 49, insert-

"163A	8701	Road tractors for semi-trailers of engine capacity more than 1800 cc".
-------	------	--

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2017

सा.का.नि.872 (अ).— भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 667(अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 2/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017 में,-

- (i) पृष्ठ 135 की पंक्ति 5 में "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं" के स्थान पर "शुष्कित फलीदार वनस्पति, कवच युक्त, चाहे त्वचा रहित या विपाटित हैं अथवा नहीं [उनसे भिन्न, जिन्हें किसी यूनिट आधान में रखा गया है और जिनका रजिस्ट्रीकृत ब्रांड नाम है]" पढ़ें ;
- (ii) पृष्ठ 139 की पंक्ति 11 में से " [प्रस्तावित जी.एस.टी. शून्य]" का लोप करें।

[फा.सं. 354/117/2017-टीआरयू भाग]

मोहित तिवारी, अवर सचिव

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th July, 2017

G.S.R. 872(E).— In the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.2/2017-Integrated Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 667(E), dated the 28th June, 2017,-

- (i) at page 141, in line 37, for "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split", read "Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split [other than put up in unit container and bearing a registered brand name]";
- (ii) at page 145, in line 17, omit "[proposed GST Nil]".

[F.No.354/117/2017-TRU Pt.]

MOHIT TEWARI, Under Secy.